फर्द अहकाम

......अजीत...... बनाम ......प्रेम चन्द...... वगै.

नाम न्यायालय – सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या– अस्थाई निषेधाज्ञा ...51..... / 2021

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
29/11/21	पत्रावली वास्ते अंतिम बहस अस्थाई निषेधाज्ञा पेश हुई। दिनांक 27.09.2021 को प्रार्थी अधिवक्ता ने धारा 188 वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नं0 683, 685 वाके ग्राम कानोता के दक्षिण पूर्व दिशा में खसरा नं0 690, 686 की भूमि स्थित है जिसे अप्रार्थी सं0 01 अपने द्वारा कय करना बताता है तथा खसरा नं0 690, 686 की आड में प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त के खसरा नं0 683, 685 की भूमि को हथियाना चाहता है। दोनों पक्षों में सीमा विवाद होने पर फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 23.08.2021 पेश हुई जिसमें उक्त खसरा नम्बरान की सीमाओं में अन्तर बताया गया है। प्रार्थी ने कहा कि अप्रार्थी सं0 1 जबरन प्रार्थीगण की भूमि पर अतिचार करके प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है, अप्रार्थी सं 01 की बेजा कार्यवाही के कारण प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश करना आवश्यक हुआ। यदि अप्रार्थी को जबरन निर्माण न करने हेतु पाबंद नहीं किया गया, तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति हो जायेगी अतः वाद निस्तारण तक अप्रार्थी को निर्माण न करने के लिये पाबंद करने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी द्वारा न्यायालय में केवियट पेश की गई थी जिसके कम में अप्रार्थीगण की तामील करवाई गई। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर सीधे बहस हेतु निवेदन किया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अप्रार्थी की बहस का मुख्य बिंदु यह रहा कि इस विषय वस्तु का वाद मु0सं0 359/2016 उनवानी जगदीश बनाम पदमचंद पूर्व में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी में फैसल हो चुका है। अतः यह सेक्शन 10 की श्रेणी में आता है व चलने योग्य नहीं है। अप्रार्थी ने यह भी कहा कि इस जमीन के ईटीएस मशीन से सीमाज्ञान के आदेश पूर्व में माननीय जिला कलक्टर महोदय द्वारा पारित किये जा चुके है अतः ऐसी स्थिति में इस वाद में अस्थाई निषेधाज्ञा का कोई औचित्य नहीं रह जाता। इसके जवाब में प्रार्थी अधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि अप्रार्थी का यह कथन सही नही है कि यह वाद सेक्शन 10 की श्रेणी में आता है क्योंकि चाहे पूर्व में दायर वाद में विवादग्रस्त भूमि व चाहा अनुतोष समान थे परन्तु प्रतिवादी जिनके संदर्भ में रिलीफ चाही गई वह अलग थे। अतः यह वाद पूर्ण रूप से चलने ... पूर्व के वाद निर्णय अनुसार अप्रार्थी (प्रतिवादी) पर कोई पाबंदी न... पुराना वाद की प्रतिवादीगण को सीमा ... में किसी भी प्रकार की मजाहमत न करने ... अतः वह निर्णय हेतु था परन्तु उसमें अप्रार्थी पक्षकार नहीं ... वाद प्रस्तुत करना उस पर लागू नहीं है। इस लिये प्रार्थी को ... लाजमी हुआ। अप्रार्थी की दूसरी आपत्ति के जवाब में स्पष्ट किया कि यह सही है कि जिला कलक्टर महोदय द्वारा ईटीएस मशीन से सीमाज्ञान के आदेश पारित है परन्तु उसके	

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 13:37:38 IST
Reason: SelfAttested

अर्शदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

.....आशीवाद..... बनाम ...मंगल सिंह... वगै.

नाम न्यायालय – सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या– अस्थाई निषेधाज्ञा .....51...../2021

बावजूद भी अप्रार्थी मौके पर निर्माण करने पर उतारू है अतः इस स्थिति में प्रार्थी को किसी प्रकार की क्षति न हो इस लिये अप्रार्थी को निर्माण न करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से वाद फैसल होने तक पाबंद करना आवश्यक है।

हमनें उभयपक्षों की बहस का गहन अध्ययन विवेचन कर यह पाया कि इस विवाद का मुख्य विषयवस्तु प्रार्थी व अप्रार्थी की भूमि के मध्य का सीमा विवाद है। जिसका ईटीएस से सीमाज्ञान शेष है। अतः इस कारण प्रार्थी ने अप्रार्थी को जो अपनी जमीन पर किस्म परिवर्तन करवा निर्माण कार्य कर रहा है को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थी का यह कहना कि क्योंकि ये वाद पूर्व में निर्णित हो चुका है अतः यह वाद पोषणीय नहीं है प्रथम दृष्ट्या सही प्रतीत नहीं होता क्योंकि उस वाद का निर्णय अप्रार्थी को विवादग्रस्त भूमि में मजाहमत करने से बाधित नहीं करता जों कि इस वाद में चाहा मुख्य अनुतोष है। वाद की इस स्टेज में यह देखना जरूरी है कि क्या इस न्यायालय द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान करना इस न्यायालय का क्षेत्र अधिकार है ? व वाद फैसल होने तक क्या किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि को रोकने के लिये अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करना उचित है या नही ?

प्रार्थना पत्र, वाद पत्र व उभयपक्षों की बहस का गहन अध्ययन कर न्यायालय यह पाता है कि उक्त वाद व प्रार्थना पत्र का अनुतोष प्रदान करने के लिये यह न्यायालय सक्षम है। इस स्थिति में जहां प्रार्थी/अप्रार्थी की भूमि में सीमा विवाद है व फिर भी अप्रार्थी ऐसी स्थिति में विवादग्रस्त सीमा पर निर्माण कार्य कर रहा है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने के आसार पैदा होते है व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी की तरफ ही प्रतीत होता है। अतः यह न्यायालय अप्रार्थी को इस आशय से अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करता है कि वह वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 683, 685 व 690, 696 राजस्व सीमाओं के निर्धारण से पूर्व सीमाओं के मौके पर यथास्थिति बनाये रखने व निर्माण नहीं करने हेतु उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है। वाद निस्तारण तक उभयपक्ष एक दूसरे के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की मजाहमत न करें। पत्रावली दर्ज नक्शा लि का (?) ... ... दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 13:37:38 IST
Reason: SelfAttested

अरशदीप बराड़ (आ.प्र.से.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम
2/11/2021